

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000

धाराओं का क्रम

धाराएँ

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएँ।

भाग 2

बिहार राज्य का पुनर्गठन

3. झारखंड राज्य का बनाया जाना।
4. बिहार राज्य और उसके प्रादेशिक खंड।
5. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।
6. राज्य सरकारों की व्यावृत्ति शक्तियाँ।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

7. संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन।
8. आसीन सदस्यों का आबंटन।

लोक सभा

9. लोक सभा में प्रतिनिधित्व।
10. संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
11. आसीन सदस्यों के बारे में संबंध।

विधान सभा

12. विधान सभाओं के बारे में संशोधन।
13. आसीन सदस्यों का आबंटन।
14. विधान सभाओं की अवधि।
15. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
16. प्रक्रिया के नियम।

बिहार की विधान परिषद

17. बिहार की विधान परिषद।
18. परिषद निर्वाचन क्षेत्र।
19. आसीन सदस्यों के बारे में आबंटन।
20. सभापति और उपसभापति।

(ii)

भाग 3

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

27. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
28. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों को अद्यतन बनाए रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति।
29. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ।
30. अनुसूचित जातियों आदेश का संशोधन।
31. अनुसूचित जनजातियों आदेश का संशोधन।

भाग 4

उच्च न्यायालय

32. झारखंड उच्च न्यायालय।
33. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
34. उच्च न्यायालय की अधिकारिता।
35. विभिन्न परिषद और अधिकारताओं के संबंध में विशेष उपबन्ध।
36. उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया।
37. उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा।
38. रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्रारूप।
39. न्यायाधीशों की शक्तियाँ।
40. उच्चतम न्यायालय से अपीलों के बारे में प्रक्रिया।
41. पटना उच्च न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों का अंतरण।
42. झारखंड उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपस्थित होने पर कार्यवाही करने अधिकार।
43. निवृत्ति।
44. व्यावृत्ति।

भाग 5

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

45. झारखंड राज्य के व्यय का प्राधिकृत किया जाना।
46. बिहार राज्य के लेखाओं से संग्रहित रिपोर्टें।
47. राजस्व का वितरण।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

48. भाग का लागू होना।
49. भूमि और माल।
50. खजाना और बैंक अतिशेष।
51. करों का बकाया।
52. उधार और अग्रिम को वसूल करने का अधिकार।
53. वित्तिय निधियों में विनिधान और जमा।
54. राज्य उपक्रमों की आस्तियाँ और दायित्व।
55. लोक उद्योग।
56. स्वयंसेवा कर्म।
57. आधिक्य में संगृहीत करों का वापस किया जाना।

(iii)

धाराएं

51. निक्षेप, आदि।
52. भविष्य-निधि।
53. पेंशन।
54. सोचदाएं।
55. अनुयोज्य दाय की बाधत दायित्व।
56. प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व।
57. उच्चत मर्दे।
58. अवशिष्ट उपबंध।
59. आस्तियों या दायित्वों का करार द्वारा प्रभाजन।
60. कतिपय मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
61. कतिपय त्रय का संचित निधि पर भारत किया जाना।

भाग 7

कतिपय निगमों के बारे में उपबन्ध

62. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य भांडागारण निगम और राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में उपबंध।
63. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के बारे में इंतजाम का धना रहना।
64. बिहार राज्य वित्त निगम के बारे में उपबंध।
65. कतिपय कंपनियों के बारे में उपबंध।
66. कानूनी निगमों के बारे में साधारण उपबंध।
67. कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध।
68. कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशेष उपबंध।
69. आय-कर के बारे में विशेष उपबंध।
70. कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना।

भाग 8

सेवाओं के बारे में उपबंध

71. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध।
72. बिहार और झारखंड में सेवाओं से संबंधित उपबंध।
73. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध।
74. अधिकारियों के उसी पद के बने रहने के बारे में उपबंध।
75. सलाहकार समितियां।
76. निर्देश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
77. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध।

भाग 9

जल स्रोतों का प्रबंध और विकास

78. जल स्रोतों का विकास और प्रबंध।
79. प्रबंध बोर्ड का गठन और उसके कृत्य।
80. प्रबंध बोर्ड के कर्मचारियों।
81. बोर्ड की अधिकारिता।
82. विनियम बनाने की शक्ति।

भाग 9

भाग 10

विधिक और प्रकीर्ण उपबन्ध

- 83. 1956 के अधिनियम 37 का संशोधन।
- 84. विधियों के राज्यीय विस्तार।
- 85. विधियों के अनुकूल की शक्ति।
- 86. विधियों के अध्यायन की शक्ति।
- 87. अनुवी मूल्या का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों आदि को शक्ति करने की शक्ति।
- 88. विधियों के अर्थवाहियों।
- 89. लीखत कार्यवाहियों का अंतरण।
- 90. कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार।
- 91. अन्य विधियों से असंगत अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव।
- 92. कतिपय धर करने की शक्ति।

पहली अनुसूची।

दूसरी अनुसूची।

तीसरी अनुसूची।

चौथी अनुसूची।

पांचवी अनुसूची।

छठी अनुसूची।

सातवी अनुसूची।

आठवी अनुसूची।

नौवी अनुसूची।

दसवी अनुसूची।

अधिनियम के विषय में विचार

- 1. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 2. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 3. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 4. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 5. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 6. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 7. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 8. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 9. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 10. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।

9 अनुसूची

अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार

- 1. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 2. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 3. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 4. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 5. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 6. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 7. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 8. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 9. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।
- 10. अधिनियम अधिनियम के विषय में विचार।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000

[25 अगस्त, 2000]

(2000 का अधिनियम संख्यांक 30)

विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन का और उससे
संबंधित विषयों का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

भाग 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 है।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) "अनुच्छेद" से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र", "परिषद् निर्वाचन क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" के वही अर्थ हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में हैं;

1950 का 43

(घ) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "विद्यमान बिहार राज्य" से नियत दिन के तोक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य अभिप्रेत है;

(च) "दिनांक" के अंतर्गत विद्यमान संपूर्ण बिहार राज्य या उसके किसी भाग में नियत दिन के तोक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमित व्यवस्था, निर्देश, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखित है।

(ज) "अनुसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है।

(झ) बिहार और झारखंड राज्यों के संबंध में, "अवसंस्था अनुपात" से 645.30 : 218.44 का अनुपात अभिप्रेत है;

(ञ) संसद के किसी सदन या विद्यमान बिहार राज्य के विधान-मंडल के संबंध में, "आसीन सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के तोक पूर्व उस सदन का सदस्य है।

(ट) विद्यमान बिहार राज्य को संबंध में, "उत्तरवर्ती राज्य" से बिहार या झारखंड राज्य अभिप्रेत है;

(ड) "अंतरित राज्यक्षेत्र" से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो नियत दिन को विद्यमान बिहार राज्य से झारखंड राज्य को अंतरित किया गया है;

(ड) 'खजाना' के अंतर्गत उपखजाना भी है; और

(इ) विद्यमान बिहार राज्य के किसी जिले, तहसील या उपखंड के संबंध में प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नियत दिन को उस उपखंड के क्षेत्र से समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।

भाग 2

बिहार राज्य का पुनर्गठन

झारखंड राज्य का बनाया जाना।

3. नियत दिन से ही, एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम झारखंड राज्य होगा जिसमें विद्यमान बिहार राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, अर्थात्—

बोकारो, छतरा, बगइचा, धनबाद, दुमका, गड़वा, गिरिडीह, गोड्डा, मुंगेर, हजारीबाग, कोडरमा, लोहादगा, पाकुड़, पलामू, राँची, साहबगंज, सिंहभूम (पूर्व) और सिंहभूम (पश्चिम) जिले,

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान बिहार राज्य के भाग नहीं रहेंगे।

बिहार राज्य और उसके प्रादेशिक खंड।

4. नियत दिन से ही, बिहार राज्य में धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से भिन्न विद्यमान बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

5. नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के अंतर्गत—

(क) बिहार राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं;"

(24) प्राविष्ट 27 के पश्चात् निम्नलिखित प्राविष्ट अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"28. झारखंड : वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है।"

6. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह बिहार या झारखंड सरकार की नियत दिन के पश्चात् राज्य के किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करती है।

राज्य सरकारों की
शक्ति को प्रभावित

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

7. नियत दिन से ही, संविधान की चौथी अनुसूची की सारणी में,—

(क) प्राविष्ट 4 से प्राविष्ट 29 तक को क्रमशः प्राविष्ट 5 से प्राविष्ट 30 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) प्राविष्ट 3 में, "22" अंकों के स्थान पर "16" अंक रखे जाएंगे;

(ग) प्राविष्ट 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्राविष्ट अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"4. झारखंड 6"।

संविधान की चौथी
अनुसूची में संशोधन

8. (1) नियत दिन से ही, विद्यमान बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के बाईस आसीन सदस्य, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में बिहार राज्य और झारखंड राज्य को आबोला स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे।

आसीन सदस्यों के
आबोला

(2) आसीन सदस्यों को पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

लोक सभा

9. नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती बिहार राज्य को 40 स्थान और उत्तरवर्ती झारखंड राज्य को 14 स्थान लोक सभा में आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में शीर्षक "1. राज्य" के अधीन,—

1950 का 43

लोक सभा में
प्रतिनिधित्व

(क) प्राविष्ट 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्राविष्ट रखी जाएगी, अर्थात्:

"4. बिहार 53.....7.....5.....40.....7";

(ख) प्राविष्ट 10 से 25 का क्रमशः प्राविष्ट 11 से 26 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्राविष्ट 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्राविष्ट अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"10. झारखंड . . . 16 1 5"।

10. नियत दिन से ही, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्देशित रूप में संशोधन किया जाएगा।

संसदीय और सभा
निर्वाचन क्षेत्रों के
परिसीमन
आदेश सदस्यों के
उपबंध

11. (1) उस निर्वाचन क्षेत्र का, जो धारा 10 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन की, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना उत्तरवर्ती बिहार या झारखंड राज्य को आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार आबंटित उस निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ है।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

विधान सभा

विधान सभाओं के बारे में
अवधि।

12. (1) नियत दिन से ही, बिहार राज्य और झारखंड राज्य की विधान सभाओं में स्थान
प्रधान सभाओं के बारे में
अवधि।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 10 के अंतर्गत "4. राज्य" के

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"4. बिहार . . . 318 . . . 45 . . . 29 . . . 243 . . . 39";

(ख) प्रविष्टियां 11 से 28 को क्रमशः 12 से 28 को रूप में परिवर्तित की जाएगी,

(ग) प्रविष्टि 10 के परभाव, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतर्भावित की जाएगी

"11. झारखंड 81 9 28";

आसीन सदस्यों के
अवधि।

(1) (1) उस निर्वाचन-क्षेत्र से, जो नियत दिन को धारा 10 के उपबंधों के आधार पर
विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे और किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की विधान सभा में नामांकित
प्रक्रिया के लिए निर्वाचित विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य
के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस दिन से ही बिहार की विधान सभा का सदस्य नहीं है
और उसे इस प्रकार आर्बिट्ररी उस निर्वाचन-क्षेत्र से झारखंड की विधान सभा में स्थान
निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

(2) विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के सभी अन्य आसीन सदस्य उस राज्य की
विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे और किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की विधान सभा में नामांकित
प्रक्रिया के लिए निर्वाचित विद्यमान झारखंड राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य
के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र की
विधान सभा में निर्वाचित हो गया है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी बिहार और झारखंड
की विधान सभाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे नियत दिन को समाप्त रूप से समाप्त
हैं।

(4) विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के आसीन सदस्यों के सभी नामों को, जिनके नाम
333 के अधीन आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह सभा में नामांकित
किया गया है, यह रद्द समझा जाएगा कि उसे उस अनुच्छेद के अधीन झारखंड विधान सभा में
समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

विधान सभाओं की
अवधि।

14. अनुच्छेद 172 के खंड (1) में निर्दिष्ट पाँच वर्षों की अवधि बिहार राज्य या झारखंड
राज्य की विधान सभा की दशा में उस तारीख को प्रारम्भ हुई समझी जाएगी जिसकी वह निर्वाचित
विधान सभा की दशा में वस्तुतः प्रारम्भ हुई है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

15. (1) वे व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उस दिन से ही उस सभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे।

(2) नियत दिन के परचात् यथाशक्य शीघ्र, झारखंड की विधान सभा, उस सभा
के सदस्यों को क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब तक कि
प्रकार चुना नहीं जाता तब तक अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन उस सभा की अध्यक्ष
द्वारा किया जाएगा जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

संचालन प्रक्रिया की विधि।

16. नियत दिन के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त बिहार की विधान सभा की संचालन
संचालन के नियम जब तक कि अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए
झारखंड की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ऐसे उपबंधों की
द्वारा निर्धारित रहेंगे जो उसके अध्यक्ष द्वारा उचित किए जाएँ।

बिहार की विधान परिषद्

1950 का 43

17. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तारीख से ही बिहार की विधान परिषद् में पंचहत्तर स्थान होंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 को तृतीय अनुसूची में, विद्यमान प्रतिष्ठि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“2. बिहार 75..... 24.....6.....6.....27.....12”।

18. नियत दिन से ही, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) आदेश, 1951 चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

19. धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान बिहार राज्य की विधान परिषद् के सभी आसीन सदस्य उनकी वर्तमान पदावधि की समाप्ति पर उनके सेवानिवृत्त होने तक उस परिषद् के सदस्य बने रहेंगे।

20. वह व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उप-सभापति है, उस परिषद् का नियत दिन से ही यथास्थिति सभापति या उप-सभापति बना रहेगा।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

21. (1) निर्वाचन आयोग, धारा 12 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित करेगा—

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों का ध्यान रखते हुए, क्रमशः बिहार और झारखंड राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या;

(ख) वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक का विस्तार और उसमें से प्रत्येक में वे स्थान जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे; और

(ग) प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं में समायोजन और उसके विस्तार का वर्णन, जो आवश्यक या समीचीन हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करते समय, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे;

(ख) सभी निर्वाचन क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय, उनकी भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखा होगा; और

(ग) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे पांच व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो उस राज्य की विधान सभा के या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य हों।

परन्तु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो उसे, उपधारा (3) के अन्वये के अनुसार पूरा जाएगा।

(5) निर्वाचन आयोग—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिशिष्टों में लिए अपनी प्रस्थापनाएँ किसी ऐसे राज्य सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हो, जो उनका प्रकाशन चाहता है राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और उसी ही एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात् परामर्श पत्र उत्तरों द्वारा आगे विचार किया जाएगा।

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों।

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करेगा और प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे भी उक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशीघ्र संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(7) बिहार और झारखंड राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिशिष्ट वर्ष 1971 में राजपत्र में प्रकाशित आदेशों के आधार पर प्रकाशित की जाएगी।

22. (1) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—
(क) धारा 21 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्दे पर संशोधन या उसमें अनवधानता से हुई भूल या तोष के कारण हुई किसी गलती को सुधार सकता है;

(ख) जहाँ ऐसे किसी आदेश या किसी आदेशों में उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए वहाँ ऐसे संशोधन कर सकता है जो आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) किसी संशोधन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रवेशित संशोधन निकाली जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

23. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संशोधन।

24. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950, में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संशोधन।

भाग 4

उच्च न्यायालय

25. (1) नियत दिन से ही झारखंड राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "झारखंड उच्च न्यायालय" कहा गया है) और पटना उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पटना उच्च न्यायालय" कहा गया है)।
(2) झारखंड उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, नियत करे।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी झारखंड उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय झारखंड राज्य में उसके प्रधान स्थान से भिन्न ऐसे अन्य स्थानों पर बैठ सकेंगे जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति झारखंड के राज्यपाल के अनुमोदन से नियत कर रहे हों और राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किए जाएं, उस दिन से पटना उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान पटना न्यायाधीश नहीं रहेंगे और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

26. (1) पटना उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो नियत दिन से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।
(2) वे व्यक्ति जो उपधारा (1) के अन्तर्गत झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियत हों, उस दशा के सिवाय जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियत हो जाए।

परिशिष्ट आदेशों को अद्यतन बनाए रखने को निर्वाचन आयोग को शक्ति।

अनुसूचित जातियों आदेश का संशोधन।
अनुसूचित जनजातियों आदेश का संशोधन।

झारखंड उच्च न्यायालय।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

नियुक्त हो जाता है, उस न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्णिकता के अनुसार रैंक धारण करेंगे।

27. झारखंड उच्च न्यायालय को, झारखंड राज्य में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग की बाबत, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त राज्यक्षेत्रों के उस भाग की बाबत पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थे।

1961 का 25

28. (1) नियत दिन से ही, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "जम्मु कश्मीर" शब्दों के पश्चात्, "झारखंड" शब्द रखा जाएगा।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विभिन्न परिषद् की नामावली में अधिवक्ता है, नियत दिन से एक वर्ष के भीतर ऐसे विद्यमान राज्य की विभिन्न परिषद् को झारखंड विभिन्न परिषद् की नामावली में अपने नाम को अंतरित किए जाने का लिखित में विकल्प दे सकेगा और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार दिए गए ऐसे विकल्प पर उसका नाम झारखंड विभिन्न परिषद् की नामावली में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए दृढ़ प्रकार दिए गए विकल्प की तारीख से अंतरित किया गया समझा जाएगा।

1961 का 25

(3) ऐसे अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय या पटना किसी अधीनस्थ न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार हैं, नियत दिन से ही, पश्चात्, झारखंड उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(4) झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित होगा जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार की बाबत प्रवृत्त हैं।

29. पटना उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवश्यक उपान्तरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और तदनुसार झारखंड उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियम बनाने और आदेश कानूनी ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो नियत दिन के ठीक पहले पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं:

परन्तु ऐसे कोई नियम या आदेश जो पटना उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा परिवर्तित या प्रतिसंशुद्ध नहीं कर दिए जाते, झारखंड उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत आवश्यक उपान्तरणों सहित ऐसे लागू होंगे माना वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों।

30. पटना उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी।

31. पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटें तथा विशेष आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटें तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी।

32. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, एकल न्यायाधीश और खंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में तथा उन शक्तियों के प्रयोग के आनुबन्धिक सभी विषयों के संबंध में, नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

33. पटना उच्च न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में, नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

34. (1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, पटना उच्च न्यायालय को नियत दिन से, अन्तर्गत राज्यक्षेत्र के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

(2) नियत दिन से ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियाँ, जो उस दिन से पूर्व या पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा वादहेतुक उत्पन्न होने के स्थान

